Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR SR IV
JAIPUR
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2006398004279	Date	27/07/2006
Presenter Name	AJIT KUMAR JAIN	Document S. No	2006398004106
Presenter/Property Address	B-113, ANAND PURIYOJANA MOTI DUNGARI ROAD,JAIPUR		
Document Type	Sale Deed (Conveyance deed)	Payment Mode	Cash
Claiment Name	VIJAY JAINJAI KUMAR	Stamp Value	50000
Face Value	1131000	Evaluated Value	1054548

Ord- registration fee	11310	commssion	0
csi_more_50000	200	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	23520	us_62	0
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	35030

Thirty Five Thousand Thirty Only

Cashier

Sub Registrar JAIPUR-IV

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

राजस्थान RAJASTHAN 010837

Ajit Kumar Jain

Anju Tater

Vijay Bodhra

|| श्री ||

विक्रय पत्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 27 जुलाई सन् 20.. ईस्वी को अजीत कुमार जैन आयु 40 वर्ष पुत्र श्री घीसालाल जैन व श्रीमती अंजू तातेड

क्रमश : ....

Anju Tater

Vijay Bodhra

Ajit Kumar Jain

उप-पंजीयक, चतुर्थ
जयपुर

12 ... 2006

क्र. सं. 4937 [illegible]

रुपयों में स्टाम्प का [illegible] 50000

क्रेता : अजयकुमार बोहरा व सेजराजैन

पिता : अपेन्द्र कुमार बोहरा

निवास : जो वाईल [illegible]

प्रतिज्ञापत्र

राव [illegible]

14/00, ला. स्टाम्प विक्रेता

जिलाधीश परिसर, जयपुर

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपए

राजस्थान RAJASTHAN

- 2 -

(जैन) आयु 36 वर्ष धर्मपत्नि श्री अजीत कुमार जैन जाति जैन निवासी प्लाट नम्बर बी–173, आनन्दपुरी योजना, मोती डूंगरी रोड, जयपुर विक्रेतागण प्रथम पक्ष की ओर विजय जैन (लोढ़ा) आयु 34 वर्ष व जयकुमार लोढ़ा आयु 32 वर्ष पुत्रान श्री भूपेन्द्र कुमार लोढ़ा जाति जैन निवासी मकान नम्बर 2–च–25–ए, जवाहर नगर, जयपुर क्रेतागण द्वितीय पक्ष के हित में लिखा जाता

क्रमशः : ....

Anju Tater

Vijay Lodha

Ajit Kumar Jain

उप-पंजीयक, चतुर्थ
जयपुर

endorsement presenter

4937 27 JUL 2006
5 ढेदद्द
जय कुमार सोठा व विजय जैन
अपेन्द्र कुमार सोठा
गवाह जयपुर
विक्रय पत्र

आज दिनांक 27 माह जुलाई सन् 2006 को 05:37 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री AJIT KUMAR JAIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GHISA LAL JAIN
उम्र 40 वर्ष, जाति JAIN व्यवसाय BUSINESS
निवासी B-113, ANAND PURI YOJANA MOTI DUNGARI ROAD, JAIPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।
Ajit Kumar Jain

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2006398004106)
(Sale Deed (Conveyance deed))

हस्ताक्षर उप पंजीयक
JAIPUR-IV

उप पंजीयक, चतुर्थ
जयपुर

रसीद नं0	[2006398004279]
दिनांक	[27-7-2006]
पंजीयन शुल्क रू0	11310
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	200
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	23520
कुल योग रू0	35030

(2006398004106)
((Sale Deed (Conveyance deed)))

उप पंजीयक, JAIPUR-IV
उप पंजीयक, चतुर्थ
जयपुर

Scanned by CamScanner

है।

जो कि जयपुर नगर चौकड़ी हवाली शहर मोती डूंगरी रोड, आनन्दपुरी योजना में एक प्लाट नम्बर बी–173 पूर्व व दक्षिणमुखी स्थित है जिसकी नाप पूर्व पश्चिम 60 फीट, उत्तर दक्षिण 45 फीट है, यह प्लाट पूर्वी दक्षिणी कोने पर गोलाई से है।

उपरोक्त सम्पूर्ण प्लाट की सीमाओं में पूर्व की ओर रास्ता आमद–रफ्त सरकारी, पश्चिम की ओर प्लाट नम्बर पी–20 मिला हुआ, उत्तर की ओर प्लाट नम्बर बी–174 मिला हुआ तथा दक्षिण की ओर 30 फीट चौड़ा रास्ता आमद–रफ्त सरकारी है।

उपरोक्त सम्पूर्ण प्लाट नम्बर बी–173 की भूमि श्री लक्ष्मी नारायण जी पुत्र श्री सूरज जी निवासी जयपुर के नाम द्वारा आवंटन पत्र क्रमांक 7051 दिनांक 24 जून सन् 1965 ईस्वी अलाट हुई जिसकी नजराना राशि में से 674/– रूपये 15 पैसे द्वारा चालान क्रमांक 245 दिनांक 25 जून सन् 1965 ईस्वी अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर में जमा करा दिये तत्पश्चात् नगर विकास न्यास, जयपुर ने द्वारा पत्र क्रमांक 1591 दिनांक 22 फरवरी सन् 1996 ईस्वी बकाया नजराना राशि, साइट प्लान व कॉर्नर चार्ज के 143/– रूपये 63 पैसे की मांग कर ली जिसके अर्न्तगत 143/– रूपये 63 पैसे द्वारा रसीद क्रमांक 4724 पुस्तक संख्या 48 दिनांक 28 फरवरी सन् 1966 ईस्वी श्री लक्ष्मी नारायण जी ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जयपुर में जमा करा दिये तथा नगर विकास न्यास, जयपुर ने द्वारा पत्र क्रमांक 3748 दिनांक 12 जनवरी सन् 1971 ईस्वी उपरोक्त प्लाट नम्बर बी–173 की भूमि पर श्री लक्ष्मी नारायण जी का मौके पर वास्तविक रूप से कब्जा करा दिया तत्पश्चात् श्री लक्ष्मी नारायण जी ने नगर विकास न्यास, जयपुर से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मकानात व बाउण्ड्रीवाल तामीर करवा लिये।

इस प्रकार श्री लक्ष्मी नारायण जी उपरोक्त सम्पूर्ण प्लाट नम्बर बी–173 बहैसियत दरोबस्त के एकमात्र स्वामी, अधिकारी व काबिज हुये, श्री लक्ष्मी नारायण जी ने वसीयतनामा लिखा हुआ दिनांक 27 मार्च सन् 1990 ईस्वी जिसकी बुक नम्बर 3 वाल्यूम नम्बर 1 के पेज नम्बर 179 में सीरियल नम्बर 68, एडिशनल बुक नम्बर 3 वाल्यूम नम्बर 3 के पेज नम्बर 479 से 490 में सीरियल

क्रमशः ....

Ajit Kumar Jain
Anju Tater
Vijay Bothra
Jai Jain

उप-पंजीयक, चतुर्थ
जयपुर

Scanned by CamScanner

feeReceipt

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) | Signature | Photo | Thumb

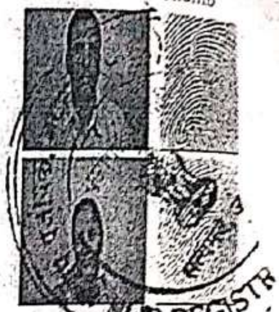

1 -AJIT KUMAR JAIN / GHISA LAL JAIN
उम्र -40 वर्ष जाति - JAIN, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - B-113, ANAND PURI YOJANA MOTI DUNGARI ROAD, JAIPUR

2 -ANJU TATER / AJIT KUMAR JAIN
उम्र -36 वर्ष जाति - JAIN, व्यवसाय -HOUSE WIFE
निवासी - B-173, ANANDPURI YOJANA M.D. ROAD, JAIPUR

(And Claiment)

1 -VIJAY JAIN / BHUPENDRA KUMAR LODA
उम्र -34 वर्ष जाति - JAIN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी -2-CHA-25, JAWAHAR NAGAR JAIPUR RAJ.

2 -JAI KUMAR / BHUPENDRA KUMAR LODA
उम्र -32 वर्ष जाति - JAIN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी -2-CHA-25, JAWAHAR NAGAR JAIPUR RAJ.

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 1131000/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे रों रू0 1131000/- पूर्व में ------ मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री KOMAL CHAND JAIN
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री PADAM CHAND JAIN
उम्र -43 वर्ष जाति-JAIN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 82, SHRIGOPAL NAGAR,GOPALPURA BYE PASS,JAIPUR

2- श्री/श्रीमती/सुश्री TARA CHAND JAIN
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री CHHOTE LAL JAIN
उम्र -43 वर्ष जाति-JAIN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 2453, TELIPARA ,CHOKARI VISHVESHRIA,JAIPUR

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2006398004106)
Sale Deed (Conveyance deed)

उपपंजीयक, JAIPUR IV
उप-पंजीयक, चतुर्थ
जयपुर

(Sale Deed (Conveyance deed))

Scanned by CamScanner

नम्बर 68 पर दिनांक 27 मार्च सन् 1990 ईस्वी को सब रजिस्ट्रार कार्यालय जयपुर प्रथम जयपुर से रजिस्ट्री हुआ है के द्वारा उपरोक्त सम्पूर्ण प्लाट नम्बर बी–173 बहैसियत दरोबस्त अपने दोहिते श्री भंवरलाल सैनी पुत्र स्वर्गीय श्री गणपतलाल जी सैनी के हित में वसीयत कर दिया।

श्री लक्ष्मी नारायण जी का दिनांक 18 नवम्बर सन् 1990 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया और स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी की उक्त वसीयत के अर्न्तगत श्री भंवरलाल सैनी उपरोक्त सम्पूर्ण प्लाट नम्बर बी–173 बहैसियत दरोबस्त का एकमात्र स्वामी, अधिकारी व काबिज हुये तथा राज्य सरकार की अधिसूचना के अर्न्तगत उपरोक्त प्लाट का मुद्रांक शुल्क 100/– रूपये द्वारा रसीद क्रमांक 7206 पुस्तक संख्या 110/90 दिनांक 30 सितम्बर सन् 2000 ईस्वी को सब रजिस्ट्रार कार्यालय जयपुर प्रथम जयपुर में जमा करा दिया।

श्री भंवरलाल सैनी का दिनांक 12 अगस्त सन् 2000 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया और स्वर्गीय श्री भंवरलाल सैनी के श्रीमती कृष्णा देवी धर्मपत्नि स्वर्गीय श्री भंवरलाल सैनी, श्रीमती रेखा देवी पुत्री स्वर्गीय श्री भंवरलाल सैनी धर्मपत्नि श्री रामरतन सैनी, श्रीमती कमलेश पुत्री स्वर्गीय श्री भंवरलाल सैनी धर्मपत्नि श्री हीरालाल सैनी, कुमारी रेणू सैनी पुत्री स्वर्गीय श्री भंवरलाल सैनी, दिनेश कुमार सैनी व पंकज कुमार पुत्रान स्वर्गीय श्री भंवरलाल सैनी एकमात्र कानूनी व नजदीकी उत्तराधिकारी होने के कारण स्वर्गीय श्री भंवरलाल सैनी की छोड़ी हुई समस्त चल व अचल सम्पत्ति मय उपरोक्त वर्णित प्लाट नम्बर बी–173 बहैसियत दरोबस्त के स्वामी व अधिकारी हुये।

श्रीमती रेखा देवी, श्रीमती कमलेश, कुमारी रेणू सैनी पुत्रियां स्वर्गीय श्री भंवरलाल सैनी, दिनेश कुमार सैनी व पंकज कुमार पुत्रान स्वर्गीय श्री भंवरलाल सैनी ने त्याग पत्र लिखा हुआ दिनांक 27 जून सन् 2002 ईस्वी जिसकी बुक नम्बर 1 वाल्यूम नम्बर 253 के पेज नम्बर 168 में सीरियल नम्बर 3268, एडिशनल बुक नम्बर 1 वाल्यूम नम्बर 1009 के पेज नम्बर 252 से 257 में सीरियल नम्बर 18 पर दिनांक 27 जून सन् 2002 ईस्वी को सब रजिस्ट्रार कार्यालय जयपुर प्रथम जयपुर से रजिस्ट्री हुआ है के द्वारा उपरोक्त प्लाट नम्बर बी–173 बहैसियत दरोबस्त में अपना 5/6 हिस्सा अविभाजित श्रीमती कृष्णा देवी के हित में त्याग कर दिया तथा श्रीमती कृष्णा देवी ने जयपुर नगर निगम, जयपुर में प्रार्थना पत्र बाबत हस्तान्तरण प्लाट दिनांक 04 जून सन् 2002 ईस्वी

उप–पंजीयक, चतुर्थ
जयपुर

क्रमशः ....

Ajit Kumar Jain Anju Tater
Vijay Kothari Lai Jain

Scanned by CamScanner

endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र
की मालियत रूपये 1131000
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 23520 पर कमी पंजीयन शुल्क रूपये 11310 कुल रूपयें 34830 जरिये
रसीद संख्या [2006398004279]
दिनांक [27-7-2006] में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 73520
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2006398004106) उप पंजीयक, JAIPUR-IV
(Sale Deed (Conveyance deed))

उप पंजीयक, चतुर्थ
जयपुर

आज दिनांक 27/7/2006 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 72
में पृष्ठ संख्या 141 क्रम संख्या 2006398002345 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 287
के पृष्ठ संख्या 576 से 590
पर चस्पा किया गया।

(2006398004106) उप पंजीयक, JAIPUR-IV
Sale Deed (Conveyance deed)

उप पंजीयक, चतुर्थ
जयपुर

Scanned by CamScanner

को प्रस्तुत कर दिया जिसके अन्तर्गत जयपुर नगर निगम जयपुर ने उपरोक्त प्लाट नम्बर बी–173 द्वारा पत्र क्रमांक डी/624/एम.सी./एम.डी.2/02 दिनांक 06 जुलाई सन् 2002 ईस्वी श्रीमती कृष्णा देवी के नाम हस्तान्तरित कर दिया तत्पश्चात् जयपुर नगर निगम जयपुर से उपरोक्त प्लाट का पट्टा विलेख क्रमांक डी/820/एम.सी./एम.डी.2 सम्वत 2059 दिनांक 02 अगस्त सन् 2002 ईस्वी श्रीमती कृष्णा देवी के नाम का लिखा जाकर मिल गया जिसको श्रीमती कृष्णा देवी ने दिनांक 02 अगस्त सन् 2002 ईस्वी को ही सब रजिस्ट्रार कार्यालय जयपुर प्रथम जयपुर में वास्ते पंजीयन प्रस्तुत कर दिया जिसकी बुक नम्बर 1 वाल्यूम नम्बर 258 के पेज नम्बर 84 सीरियल नम्बर 4184, एडिशनल बुक नम्बर 1 वाल्यूम नम्बर 1027 के पेज नम्बर 493 से 497 में सीरियल नम्बर 34 पर दिनांक 02 अगस्त सन् 2002 ईस्वी को रजिस्ट्री किया जाकर श्रीमती कृष्णा देवी को मिल गया।

इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण प्लाट नम्बर बी–173 बहैसियत दरोबस्त की श्रीमती कृष्णा देवी एकमात्र स्वामिनी, अधिकारिनी व काबिज हुई तत्पश्चात् श्रीमती कृष्णा देवी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा उपरोक्त प्लाट नम्बर बी–173 का पश्चिमी हिस्सा प्लाट पूर्व पश्चिम 25 फीट 8 इंच, उत्तर दक्षिण 45 फीट कुल क्षेत्रफल 107.27 वर्गमीटर प्रथम पक्ष में अजीत कुमार जैन को विक्रय कतई कर दिया तत्पश्चात् श्रीमती कृष्णा देवी ने विक्रय पत्र लिखा हुआ दिनांक 24 अगस्त सन् 2002 ईस्वी जिसकी बुक नम्बर 1 वाल्यूम नम्बर 262 के पेज नम्बर 125 सीरियल नम्बर 5025, एडिशनल बुक नम्बर 1 वाल्यूम नम्बर 1044 के पेज नम्बर 287 से 310 में सीरियल नम्बर 25 पर दिनांक 10 सितम्बर सन् 2002 ईस्वी को रजिस्ट्री हुआ है के द्वारा उपरोक्त प्लाट नम्बर बी–173 का शेष पूर्वी हिस्सा प्लाट क्षेत्रफल 139.08 वर्गमीटर श्री अलपेश कुमार पुत्र श्री भूपेन्द्र कुमार पटेल व श्रीमती निल्पा धर्मपत्नि श्री अलपेश कुमार निवासी मकान नम्बर 1742, तेलीपाडा, चौड़ा रास्ता, जयपुर को विक्रय कतई कर दिया।

श्री अलपेश कुमार व श्रीमती निल्पा ने विक्रय पत्र लिखा हुआ दिनांक 30 मार्च सन् 2004 ईस्वी जिसकी बुक नम्बर 1 वाल्यूम नम्बर 316 के पेज नम्बर 64 सीरियल नम्बर 2004001645, एडिशनल बुक नम्बर 1 वाल्यूम नम्बर 1259 के पेज नम्बर 165 से 175 पर दिनांक 05 अप्रैल सन् 2004 ईस्वी को सब रजिस्ट्रार कार्यालय जयपुर प्रथम जयपुर से रजिस्ट्री हुआ है के द्वारा उपरोक्त प्लाट नम्बर बी–173 का खरीदशुदा सम्पूर्ण पूर्वी हिस्सा प्लाट क्षेत्रफल 139.08 वर्गमीटर प्रथम

उप-पंजीयक, चतुर्थ
जयपुर

क्रमशः : ....

Ajit kumar Jain Amin Tater Vijay Lodha Lai Jain

Scanned by CamScanner

पक्ष को विक्रय कतई कर दिया तथा प्रथम पक्ष ने उक्त प्लाट में बेसमेन्ट तामीर करा लिया, उक्त प्लाट खरीद व तामीरात इत्यादि में प्रथम पक्ष का स्वयं का रूपया लगा है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण प्लाट नम्बर बी–173 वहैसियत दरोबस्त के बिना किसी अन्य व्यक्ति के साझे व हिस्से के बहिस्सा बराबर एकमात्र स्वामी, अधिकारी व काबिज हैं जिसको प्रथम पक्ष ने आज तक किसी भी व्यक्ति, बैंक अथवा सरकार के हित में किसी भी प्रकार से रहन, विक्रय, बख्शीश व अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है और न ही इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का अनुबन्ध इत्यादि कर रखा है, प्रत्येक प्रकार के झगड़े, टन्टे, ऋणादि के भार एवं बन्धन, जमानत, कर्जा, कुर्की, डिक्री, अधिग्रहण इत्यादि सरकारी व जनसाधारण से मुक्त है।

प्रथम पक्ष को पारिवारिक व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उपरोक्त प्लाट में से निम्नलिखित पूर्वी हिस्सा प्लाट विक्रय करना चाहते हैं जिसको द्वितीय पक्ष अपने स्वयं के उपयोग एवं उपभोग हेतु खरीद करना चाहते हैं, इसलिये प्रथम पक्ष ने उपरोक्त प्लाट नम्बर बी–173 में से निम्नलिखित पूर्वी हिस्सा प्लाट जिसका पूरा विवरण इस विक्रय पत्र के अन्त में लिखा है और जिसको इस विक्रय पत्र के साथ लगे नक्शे में पीले रंग से दिखलाया गया है वहैसियत दरोबस्त कुल स्वत्वों व अधिकारों, बाहरी, भीतरी, नीचे की जमीन, ऊपर की छत मय हक बालाई, बनी हुई तामीरात बेसमेन्ट व बाउण्ड्रीवाल व चरपेटांवाल इत्यादि सहित उक्त द्वितीय पक्ष के हित में 11,31,000/– रूपये अक्षरे ग्यारह लाख इक्तीस हजार रूपयों के बदले विक्रय कतई कर दिया है।

खर्चा विक्रय पत्र प्रत्येक प्रकार का द्वितीय पक्ष ने अपने पास से लगाया है, मूल्यधन में से 2,00,000/– रूपये अक्षरे दो लाख रूपये द्वारा चैक नम्बर 330981 दिनांक 24 मार्च सन् 2006 ईस्वी पंजाब नेशनल बैंक, जौहरी बाजार शाखा, जयपुर प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष में प्रणकर्ता नम्बर 2 जय कुमार लोढ़ा से पूर्व में प्राप्त कर लिये हैं जिसकी प्राप्ति होना प्रथम पक्ष इस विक्रय पत्र में स्वीकार करते हैं, शेष मूल्यधन में से 5,00,000/– रूपये अक्षरे पांच लाख रूपये द्वारा चैक नम्बर 326765 दिनांक 27 जुलाई सन् 2006 ईस्वी पंजाब नेशनल बैंक, जौहरी बाजार शाखा, जयपुर व 1,06,000/– रूपये अक्षरे एक लाख छः

उप–पंजीयक, चतुर्थ
जयपुर

क्रमशः : ....

Anju Tater

Vijay Lodha.

Ajit Kumar Jain

Lai Jain

Scanned by CamScanner

हजार रूपये द्वारा चैक नम्बर [illegible] दिनांक 27 जुलाई सन् 2006 ईस्वी पंजाब नेशनल बैंक, जौहरी बाजार शाखा, जयपुर द्वितीय पक्ष से प्रथकर्ता नम्बर 1 विजय जैन (लोढ़ा) से एवं 2,00,000/- रूपये अक्षरे दो लाख रूपये द्वारा चैक नम्बर 330990 दिनांक 27 जुलाई सन् 2006 ईस्वी पंजाब नेशनल बैंक, जौहरी बाजार शाखा, जयपुर व 1,25,000/- रूपये अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार रूपये द्वारा चैक नम्बर 330991 दिनांक 27 जुलाई सन् 2006 ईस्वी पंजाब नेशनल बैंक, जौहरी बाजार शाखा, जयपुर द्वितीय पक्ष से प्रथकर्ता नम्बर 2 जय कुमार लोढ़ा से, इस विक्रय पत्र की रजिस्ट्री के समय समक्ष सब रजिस्ट्रार साहब, जयपुर द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये हैं, इस प्रकार मूल्यधन का समस्त रूपया प्रथम पक्ष में प्रथकर्ता नम्बर 1 अजीत कुमार जैन व प्रथकर्ता नम्बर 2 श्रीमती अंजू तालेड़ (जैन) की आपसी सहमति से द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये हैं, अब मूल्यधन का कुछ भी लेना बाकी नहीं रहा है तथा बेचे हुये हिस्से प्लाट पर प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष का मौके पर खाली करके वास्तविक रूप से कब्जा करा दिया है, द्वितीय पक्ष आज से बेचे हुये हिस्से प्लाट के बहिस्सा बराबर एकमात्र स्वामी, अधिकारी व काबिज हो चुके हैं और द्वितीय पक्ष को इसके सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार से अपने काम में लेने, मंजिल दर मंजिल तामीरात व रद्दोबदल करवाने, फायदा उठाने, रहन, विक्रय, बख्शीश व अन्य प्रकार से परिवर्तन एवं हस्तान्तरित करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मालिकाना प्राप्त हैं।

अब बेचे हुये हिस्से प्लाट से प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारियों, स्थानापन्नों, प्रतिनिधियों इत्यादि का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नहीं रहा है और न भविष्य में होगा।

बेचे हुये हिस्से प्लाट के सम्बन्ध में आज से पहले का कोई झगड़ा, टन्टा सरकारी व जनसाधारण का बाकी निकलेगा या कोई व्यक्ति, बैंक अथवा सरकार इस विक्रय के विरूद्ध किसी प्रकार की आपत्ति, आक्षेप इत्यादि करेंगे अथवा हाऊस टैक्स व अन्य टैक्स, लीज, पैनेल्टी इत्यादि का कोई रूपया बाकी निकलेगा तो उन सबका निपटारा प्रथम पक्ष स्वयं अपने खर्चे से करेंगे, द्वितीय पक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं होगा, किसी प्रकार की दावेदारी से अथवा प्रथम पक्ष के स्वामित्व अधिकार की त्रुटि के कारण बेचा हुआ हिस्सा प्लाट सम्पूर्ण अथवा इसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के कब्जे व अधिकार से निकल जावे अथवा द्वितीय पक्ष को बेचे हुये हिस्से प्लाट के सम्बन्ध में आज से पहले का कोई रूपया अदा करना पड़े तो द्वितीय पक्ष का अपना दिया हुआ समस्त रूपया हानि, व्यय, खर्चा,

क्रमशः ....

उप-पंजीयक, चतुर्थ
जयपुर

हर्जा इत्यादि सहित प्रथम पक्ष से व प्रथम पक्ष की प्रत्येक प्रकार की चल–अचल सम्पत्ति से एकमुश्त वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

प्रथम पक्ष ने उपरोक्त प्लाट से सम्बन्धित समस्त असल कागजात की छायांकन प्रतिलिपि द्वितीय पक्ष को आज दे दी है, द्वितीय पक्ष को इस विक्रय पत्र द्वारा बेचे हुये हिस्से प्लाट से सम्बन्धित समस्त सरकारी कागजात, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, जयपुर नगर निगम जयपुर, हाऊस टैक्स के बिल इत्यादि में अपना नाम अंकित करवाने व बिजली, पानी, टेलीफोन लाईन के कनेक्शन्स लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

बेचे हुये हिस्से प्लाट का विवरण

जयपुर नगर चौकड़ी हवाली शहर मोती डूंगरी रोड, आनन्दपुरी योजना में प्लाट नम्बर बी–173 का पूर्वी हिस्सा प्लाट पूर्व व दक्षिणमुखी प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को विक्रय किया है जिसकी नाप पूर्व पश्चिम उत्तर की ओर से 30 फीट, उत्तर दक्षिण पश्चिम की ओर से 45 फीट है, यह बेचा हुआ हिस्सा प्लाट पूर्वी दक्षिणी कोने पर गोलाई से है।

बेचे हुये हिस्से प्लाट की सीमाओं में पूर्व की ओर 30 फीट चौड़ा रास्ता आमद रफ्त सरकारी, पश्चिम की ओर प्लाट नम्बर बी–173 का शेष हिस्सा प्लाट श्री अजीत कुमार जैन का मिला हुआ बीच आसार आधा–आधा है, इस तरफ प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष कोएक दूसरे की तरफ खिडकी, जाली, बारी, नाले, परनाले, रोशनदान, दरवाजे इत्यादि रखने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि चरपेटां तामीरात रहेगी, उत्तर की ओर प्लाट नम्बर बी–174 मिला हुआ तथा दक्षिण की ओर 30 फीट चौड़ा रास्ता आमद–रफ्त सरकारी है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने उपरोक्त सम्पूर्ण पूर्वी हिस्सा प्लाट बहैसियत दरोबस्त विक्रय कतई कर दिया है जिसको इस विक्रय पत्र के साथ लगे नक्शे में पीले रंग से दिखलाया गया है और जिसका कुल क्षेत्रफल 120.94 वर्गमीटर है, बेचा हुआ हिस्सा प्लाट मात्र 30 फीट चौडे रास्ते पर स्थित है जिसमें बने हुये बेसमेन्ट की तामीरात साधारण तरीके की है इसलिये बेचे हुये हिस्से प्लाट की मार्केट वैल्यू मूल्यधन से अधिक नहीं है।

उप–पंजीयक, चतुर्थ
जयपुर

अतः यह विक्रय पत्र दोनों पक्षों ने अपनी राजी–खुशी, स्वस्थ चित्त तथा

क्रमशः ....

Ansu Tater

Vijay Kodlip

Ajit kumar Jain

Bi Jain

Scanned by CamScanner

स्थिर बुद्धि की अवस्था में 50,000/– रूपये के दो किता मुद्रा पत्र व सात पेपरों पर लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इतिः

हस्ताक्षर विक्रेतागण प्रथम पक्ष : Ajit Kumar Jain

(अजीत कुमार जैन)
पेन नम्बर : ADRPJ 0288 R

Anju Tater
(श्रीमती अंजू तातेड (जैन))
पेन नम्बर : ACCPT 2782 Q

हस्ताक्षर क्रेतागण द्वितीय पक्ष : Vijay Lodha

(विजय जैन (लोढा))
पेन नम्बर : ACFPJ 9003 M

Jai Jain
(जयकुमार लोढ़ा)
पेन नम्बर : ABEPL 4199 E

Komal Chand Jain
Komal Chand Jain S/o Shri Padam Jain
82 Shri GopalNagar
Jaipur
गवाह 1

उप-पंजीयक, चतुर्थ
जयपुर

गवाह 2 ताराचन्द जैन
ताराचन्द जैन
S/o श्री छोटेलालजी मेहता
2453 तेली पाड़ा
जयपुर

Scanned by CamScanner